पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 8679 /अका./का.प./2012 रायपुर, दिनांक : 25-10-2012

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक शनिवार, दिनांक 20 अक्टूबर, 2012 को अपरान्ह 3.00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :

1.	डॉ. शिव कुमार पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	डॉ. (श्रीमती) आभारुपेन्द्र पाल	–	सदस्य
3.	डॉ. (श्रीमती) रीता वेणुगोपाल	–	सदस्य
4.	डॉ. व्यास नारायण दुबे	–	सदस्य
5.	डॉ. ए. के. शर्मा	–	सदस्य
6.	डॉ. बी. के. शर्मा	–	सदस्य
6.	डॉ. दीपक कारकून	–	सदस्य
7.	डॉ. अरविन्द गिरोलकर	–	सदस्य
8.	डॉ. अंजनी कुमार शुक्ल	–	सदस्य
9.	डॉ. एम.आई. मेमन	–	सदस्य
10.	डॉ. आर. बाला सुब्रामनियम	–	सदस्य
11.	श्री एस. के. चक्रवर्ती	–	सदस्य
12.	डॉ. जी.बी. गुप्ता	–	सदस्य
13.	श्री ललित सुरजन	–	सदस्य
14.	डॉ. रवि भोई	–	सदस्य
15.	श्री के. के. चन्द्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

कार्यवृत्त :

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 14.09.2012 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णयः **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 14.09.2012 के कार्यवृत्त में निम्नलिखित निर्णयों को शामिल करते हुए सम्पुष्टि प्रदान की गई।**

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय :–

शिक्षकों को छठवां वेतनमान के एरियर्स का भुगतान के संबंध में सदस्यों द्वारा चाही गई जानकारी पर कुलपतिजी द्वारा सभी सदस्यों को अवगत कराया कि यह राशि राज्य शासन से प्राप्त होना है, अतः इस संबंध में राज्य शासन को स्वीकृति हेतु प्रत्र प्रेषित किया गया है। राज्य शासन से इस संबंध में हुई चर्चा अनुसार खण्ड संधारण अनुदान कि शेष किश्त एकमुस्त भुगतान की स्वीकृति हेतु अलग से पत्र विस्तृत जानकारी के साथ भेजना है। राज्य शासन से अनुदान राशि प्राप्त होते ही शिक्षकों को एरियर्स का भुगतान कर दिया जावेगा।

02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 14.09.2012 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

निर्णयः **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 14.09.2012 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत की गई तद्नुसार अनुमोदन किया गया।**

03. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक 22.09.2012 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णयः **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक 22.09.2012 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।**

04. विश्वविद्यालय क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 17.08.2012 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णयः **विश्वविद्यालय क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 17.08.2012 के कार्यवृत्त का निम्नानुसार निर्णय के साथ अनुमोदन किया गया –**

(i) क्रीड़ा समिति की कम से कम दो बैठकें एकेडमिक सत्र में आयोजित किया जावे।

(ii) एकेडमिक सत्र के प्रारम्भ के पूर्व अर्थात् मई–जून में एक बैठक अवश्य आयोजित किया जावे।

(iii) क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 17.08.2012 के विषय क्रमांक 5 के संबंध में विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत किया जावे।

(iv) अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय क्रमांक 2 के निर्णय के संबंध में ट्रेक–सूट एवं ब्लेज़र के क्रय करने के लिए ऐसे निर्माता कंपनी के नाम स्पष्ट होना आवश्यक है, जहाँ से क्रय नियम के अंतर्गत क्रय किया जा सकता है।

(v) क्रीड़ा समिति के निर्णय के साथ एकेडमिक सत्र के परफार्मेंस की जानकारी प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिससे क्रीड़ा के क्षेत्र में विकास के लिए विचार कर ठोस निर्णय लिया जा सके।

05. विश्वविद्यालय शिक्षकों की दो वर्ष की परिवीक्षावधि पूर्ण करने के पश्चात् स्थाई किये जाने के संबंध में पुनर्विचार करना।

निर्णयः प्रकरण पर न्यायालय में वर्तमान स्थिति के साथ विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत किया जावे। इसके साथ–साथ प्रकरण में शीघ्र सुनवाई के संबंध में आगामी कार्यवाही हेतु संबंधित एडव्होकेट को पंत्र लिखा जाए।

06. विश्वविद्यालय के कैंपस एरिया नेटवर्क के वर्तमान में उपलब्ध फार्म (M/s. Key Computer, Nagpur) का वार्षिक रखरखाव अनुबंध को एक वर्ष की वृद्धि करने पर विचार करना।

निर्णयः **विश्वविद्यालय के कैंपस एरिया नेटवर्क के वर्तमान में उपलब्ध फार्म (M/s. Key Computer, Nagpur) का वार्षिक रखरखाव 31 दिसम्बर, 2012 तक अनुबंध वृद्धि की जाती है। इस बीच कैंपस एरिया नेटवर्क के रखरखाव के संबंध में निविदा की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाए।**

07. श्री राजेश पाण्डेय, अधिवक्ता की मानदेय रू. 5000/– से रू. 8000/– प्रतिमाह किये जाने पर विचार करना।

निर्णयः **जिला न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के लिए पैनल में कौन–कौन से एडव्होकेट हैं, किसको कितना कार्य दिया गया है एवं प्रत्येक प्रकरण की वर्तमान स्थिति के संबंध में जानकारी के साथ प्रस्तुत किया जावे।**

08. छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर महंगाई राहत स्वीकार करने के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर का वित्त निर्देश 64/2012 क्रमांक 294/एफ–102200/वित्त/नियम/चार/12 दिनांक 18 सितम्बर 2012 पर विचार करना।

निर्णयः **शासन द्वारा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए पेंशन आदेश जारी नहीं हुआ है, इसलिए अमान्य किया गया। शासन को स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में शीघ्र पत्र लिखा जाए। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय है, फिर भी शासन द्वारा पेंशनरों के लिए आदेश जारी नहीं करने पर कार्यपरिषद् द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया। शीघ्र पेंशनरों के लिए आदेश जारी करने हेतु पत्र लिखा जावे।**

विश्वविद्यालय के शिक्षकों को छोड़कर, शासन के शिक्षकों को एरियर्स की राशि का भुगतान किया जा चुका है, जो कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों का न्यायिक हक है। विश्वविद्यालय के शिक्षकों को एरियर्स की राशि शीघ्र भुगतान करने के संबंध में तत्परता से कार्यवाही आवश्यक है। इस आशय का पत्र शीघ्र राज्य शासन को प्रेषित किया जावे।

09. महात्मा गाँधी महाविद्यालय, स्टेशन रोड, रायपुर में प्राचार्य/विभागाध्यक्ष शिक्षा के पद पर नियुक्ति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **महात्मा गाँधी महाविद्यालय, स्टेशन रोड, रायपुर में प्राचार्य हेतु योग्य अभ्यर्थी नहीं होने के कारण चयन समिति की अनुशंसानुसार, अवकाश प्राप्त उपाचार्य एवं अध्यक्ष शिक्षा, डॉ. संतोष धर को 1 वर्ष के लिए संविदा आधार पर, प्राचार्य/विभागाध्यक्ष शिक्षा के पद पर नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया।**

पूरक विषयसूची

01. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक 17.10.2012 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णयः विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक 17.10.2012 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

02. विश्वविद्यालय के अंशकालीन शिक्षकों को रू. 250/– प्रति व्याख्यान अधिकतम रू. 10,000/– प्रतिमाह के स्थान पर रू. 300/– प्रति व्याख्यान अधिकतम रू. 15,000/– प्रतिमाह मानदेय स्वीकृत करने पर विचार करना।

निर्णयः विश्वविद्यालय के अंशकालीन शिक्षकों को रू. 250/– प्रति व्याख्यान अधिकतम रू. 10,000/– प्रतिमाह के स्थान पर रू. 300/– प्रति व्याख्यान अधिकतम रू. 15,000/– प्रतिमाह मानदेय स्वीकृत प्रदान की गई।

03. शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों में नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति के बाह्य सदस्यों को मानदेय प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः शैक्षणिक पदों में नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति के सदस्यों को मानदेय रू. 2000/– स्वीकृति प्रदान करने की गई।

अशैक्षणिक पदों में नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति के सदस्यों को मानदेय के रूप में रू. 500/– प्रदान किये जाने संबंधी सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

04. चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए विकल्प भराने के संबंध में विचार करने बाबत्।

निर्णयः चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए विकल्प भराने के संबंध में प्रस्ताव अमान्य किया गया।

05. वार्षिक परीक्षा 2012–13 के नियमित परीक्षा आवेदन फार्म मुद्रण कार्य का देयक राशि रू. 8,30,000.00 के भुगतान स्वीकृति हेतु।

निर्णयः वार्षिक परीक्षा 2012–13 के नियमित परीक्षा आवेदन फार्म मुद्रण कार्य का देयक राशि रू. 8,30,000.00 के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य प्रकरण

1. **विश्वविद्यालय कार्यपालन यंत्री के पद के विरूद्ध श्री केशव प्रसाद तिवारी सेवा निवृत्त कार्यपालन अभियंता के आवेदन पत्र कार्यपरिषद् सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। निर्णय लिया गया कि उनकी सेवाएँ अभी 'पार्ट–टाईम' के रूप में निर्धारित मानदेय के आधार पर लिया जावे। कार्यपालन यंत्री के रिक्त पद के विरूद्ध श्री तिवारी के आवेदन संविदा आधार पर नियुक्त किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ शासन को भेजी जावे।**

2. विश्वविद्यालय द्वारा शोध केन्द्र की मान्यता प्रदान करने के बाद अनेक शोध केन्दों में विभिन्न कारणों से पर्याप्त निर्देशक नहीं होने अथवा केन्द्र द्वारा शोध के लिए आवश्यकताएँ की पूर्ति नहीं करने के कारण शोधार्थियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अतः शोध केन्द्रों को मान्यता प्रदान करने के बाद समय–समय पर समीक्षा आवश्यक है। प्रकरण विद्यापरिषद् की बैठक में प्रस्तुत कर विचार किया जावे।

3. छत्तीगसढ़ शासन द्वारा चिकित्सा संकाय के अन्तर्गत निर्धारित सभी पाठ्यक्रमों के लिए छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। अतः इस विश्वविद्यालय द्वारा चिकित्सा संकाय के अंतर्गत संचालित सभी पाठ्यक्रमों की परीक्षाएँ आयुष विश्वविद्यालय द्वारा लिया जावे।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात कार्यवाही सम्पन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 8680 /अका./का.प./2012 रायपुर, दिनांक : 25 -10-2012

प्रतिलिपि :–

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. समस्त विभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि विभाग से संबंधित निर्णयों का पालन प्रतिवेदन इस विभाग को प्रेषित करने का कृपया कष्ट करें।
4. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
5. वित्त नियंत्रक/प्रभारी अंकेक्षण,
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

25/10/12

प्रभारी अधिकारी (अका.)